

प्र.सं. 426/25

31-10-25

2025/518

प्रपत्र-6

**"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"**  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1950 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

माण्डल

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम आवागपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से लार्ड के खाता संख्या 552, 989 में सही नाम देवुबाई पाते सोहनलाल सुपार देव के नाम से देव पाते सोहनलाल सुपार देव अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।



दिनांक:- 19.09.25

(देव सोहनलाल सुपार देव)  
-8849865160-

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.निरीक्षक आवागपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम आवागपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2077 से लार्ड के खाता संख्या 552, 989 में प्रार्थी का नाम देवुबाई दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आवागपुरा व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम देव है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

देव 19.09.25

पटवारी आवागपुरा  
19/09/25

अभियोग सेवा शिविर 2025

क्रमांक 19/9/25 रिपोर्ट तहसीलदार आवागपुरा

राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी आवागपुरा व भूअ0नि0 आवागपुरा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम आवागपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2077 से लार्ड की खाता संख्या 552, 989 में प्रार्थी का नाम देवुबाई के यजाय देव किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार  
तहसीलदार, माण्डल  
जिला भीलवाड़ा

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार आवागपुरा ग्राम आवागपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2077 से लार्ड खाता संख्या 552, 989 में दर्ज प्रार्थी का नाम देवुबाई के स्थान पर देव संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा